

सूचना सम्प्रेषण तकनीकी का नई शिक्षा नीति २०२० के सन्दर्भ में अध्ययन

शिवम् श्रीवास्तव¹, Ph. D. & अनीता वर्मा²

¹एसेसिएट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र, विभाग, किसान पी० जी० कॉलेज, बहराइच (उ० प्र०)

²शोधछात्रा, किसान पी० जी०, कॉलेज, बहराइच (उ० प्र०)

Paper Received On: 25 JAN 2022

Peer Reviewed On: 31 JAN 2022

Published On: 1 FEB 2022



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त माह में जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुख्यतः चार भागों में विभाजित है, जिसके अंतर्गत 27 अध्याय हैं। प्रथम भाग स्कूल शिक्षा, दूसरा भाग उच्चतर शिक्षा, तीसरा भाग केंद्रीय विचारणीय मुद्दे जो व्यवसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति से संबंधित नीतियों के संबंध में है। भाग चार इस संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन कैसे किया जाए इसकी रणनीति पर आधारित है।

इससे पूर्व भी शिक्षा नीतियां भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हैं एवं उनमें यथोचित संशोधन भी किए गए हैं। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे 1992 में संशोधित किया गया था उस नीति के कुछ कार्यों को पूरा करने का प्रयास वर्तमान शिक्षा नीति द्वारा किया गया।

यह शिक्षा नीति निश्चित रूप से हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ने और उसके संपूर्ण सामाजिक एवं अकादमिक विकास हेतु पर्याप्त प्रावधान से परिपूर्ण है। यदि आज हम देखें तो जो वर्तमान में शिक्षा नीति चल रही थी इसमें बच्चों को संख्या ज्ञान एवं अक्षर ज्ञान जैसी मूलभूत जानकारीयों उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, परंतु शिक्षा नीति के द्वारा बुनियादी रूप से छोटे बच्चों को अक्षर ज्ञान एवं संख्या ज्ञान प्रदान करना इस नीति की प्राथमिकता है एवं जो छोटे बालक हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही इस नीति की एक खास उपलब्धि इसका लचीलापन होना भी है। यहां लचीलापन से अर्थ छात्रों की रुचियों के अनुसार, उनकी अपनी प्रतिभाओं के अनुसार, उनकी अपनी क्षमताओं के अनुसार खुली छूट है कि वह किस तरह की शिक्षा ग्रहण करें एवं अपना भविष्य अपनी इच्छा अनुसार तैयार करने के लिए क्या शिक्षा हासिल करें। विशेष रूप से इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मुख्य बात जो एक शैक्षणिक अलगाववाद को समाप्त करने हेतु लाई गई है वह बहुत ही सराहनीय प्रयास है। शैक्षिक अलगाव जो विभिन्न शैक्षिक धाराओं जैसे विज्ञान, व्यवसायिक, कानून, Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

तकनीक एवं कला शिक्षा के बीच में आज देखने को मिलता है उसको समाप्त करने एवं प्रत्येक छात्र को यह अधिकार देने कि वह कला के साथ विज्ञान, विज्ञान के साथ तकनीकी, तकनीकी के साथ व्यवसाय या व्यवसाय के साथ विधि शिक्षा से संबंधित विषयों का भी अध्ययन कर सकें जिससे वह अपनी क्षमताओं का विकास कर सके एवं अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके एक महत्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक मुख्य पहलू जो पिछले शिक्षा नीतियों में नहीं पाया जा रहा था वह है मानव मूल्यों जैसे सहानुभूति, सम्मान, स्वच्छता, शिष्टाचार, लोकतांत्रिक भावना, सेवा की भावना, सार्वजनिक संपत्ति के लिए सम्मान वैज्ञानिक चिंतन, स्वतंत्रता जिम्मेदारी बहुलतावाद, समानता और न्याय जैसे मानव एवं संवैधानिक मूल्य को समाहित करता है जो प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य संविधान के अनुसार है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर 29 जुलाई, 2020 को अस्तित्व में आई। शिक्षा नीति में यह बदलाव कुल 34 वर्षों के अंतराल के बाद किया गया है। लेकिन बदलाव जरूरी था और समय की जरूरत के अनुसार यह पहले ही हो जाना चाहिए था।

नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता

पहले की शिक्षा प्रणाली मूल रूप से सीखने और परिणाम देने पर केंद्रित थी। विद्यार्थियों का आकलन प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था। यह विकास के लिए एक एकल दिशा वाला दृष्टिकोण था। लेकिन नई शिक्षा नीति एक बहु-विषयक दृष्टिकोण की प्रासंगिकता पर केंद्रित है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है।

नई शिक्षा नीति एक नए पाठ्यक्रम और शिक्षा की संरचना के गठन की कल्पना करती है जो छात्रों को सीखने के विभिन्न चरणों में मदद करेगी। शिक्षा को शहरी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तक पहुंचाने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य चारों गुणवत्ता शिक्षा को पूरा करके स्थिरता को पूरा करने की ओर होगा।

उद्देश्य

नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य एक बच्चे को एक कुशल बनाने के साथ-साथ, जिस भी क्षेत्र में वह रुचि रखता है, उसी क्षेत्र में उन्हें प्रशिक्षित करना है। इस तरह, सीखने वाले अपने उद्देश्य, और अपनी क्षमताओं का पता लगाने में सक्षम होते हैं। शिक्षार्थियों को एकीकृत शिक्षण प्रदान किया जाना है यानी उन्हें प्रत्येक अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए। उच्च शिक्षा में भी यही बात लागू होती है। नई शिक्षा नीति में शिक्षक की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के सुधार पर भी जोर दिया गया है।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली वर्ष 1986 की मौजूदा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का परिणाम है। इसे शिक्षार्थी और देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों के

समग्र विकास पर केंद्रित है। इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

सूचना एवं संचार तकनीकी

वर्तमान शताब्दी को सूचना एवं संचार तकनीकी के क्षेत्र में क्रांति के युग के नाम जाना जाता है। सूचना एवं संचार की तकनीकियों ने मानव जीवन को न केवल सरल व सुगम बनाया अपितु कम श्रम में अधिकतम प्रतिफल तथा श्रम शक्ति के समुचित अधिकतम उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। शिक्षा का क्षेत्र भी सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रभाव से अछूता नहीं है। शिक्षा प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर व पक्ष में इन तकनीकियों का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया जा रहा है। शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, दूरस्थ शिक्षा, मुक्त शिक्षा, प्रशिक्षण, कार्यक्रम निर्माण योजना, प्रश्न पत्र निर्माण, प्रमाण पत्र निर्माण, परीक्षा परिणाम व मूल्यांकन प्रक्रिया आदि में इस साधनों का प्रयोग बहुतायत में किया जा रहा है।

सूचना क्रांति के इस युग ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। इस सूचना क्रांति ने भविष्य में अनेक चुनौतियों, अवसरों एवं प्रतिस्पर्धाओं का सृजन किया है, जिनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए सूचना और संचार तकनीकी या प्रौद्योगिकी का अध्ययन करना अनिवार्य हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी को कंप्यूटर के नित्य नए विकास ने और अधिक प्रभावी बना दिया है तथा इसे विस्तृत आयाम प्रदान किया है।

सूचना एवं संचार तकनीकी का अर्थ

सूचना एवं संचार तकनीकी से तात्पर्य उस सूचना सम्प्रेषण तकनीकी से है जिसके माध्यम से सम्प्रेषण कार्य अत्यधिक प्रभावी ढंग से समपन्न किया जाता है। इसका संबंध वैज्ञानिक तकनीकी के ऐसे संसाधनों व साधनों से होता है जिसके माध्यम से त्वरित गति से सूचनाओं का प्रभावी आदान-प्रदान होता है। इसे सामान्य अर्थ में यह कहा जा सकता है कि किसी तथ्य या सूचना को जानना एवं उसे तुरंत उसी रूप में आगे पहुँचाना जिस रूप में वह है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी कहलाता है।

नयी शिक्षा नीति में सूचना एवं संचार तकनीकी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य प्रावधान प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण है। आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का अभियान पूरे देश में कार्य कर रहा है। कोविड-19 के समय में जहां संपूर्ण समाज वर्चुअल एवं डिजिटल पद्धति में कूद पड़ा है, ऐसी स्थिति में आज की जरूरतों को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, स्मार्ट बोर्ड कंप्यूटर एवं अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर द्वारा नासिर्फ छात्रों में सीखने की प्रतिभा का विकास वरन् समाज परिवर्तन भी होगा। नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक पहल की गई है। वर्तमान में व्याप्त वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक साधनों के इस्तेमाल से शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना ऑनलाइन शिक्षा का अधिक से अधिक लाभ उठाना इत्यादि विषयों पर भी

अध्ययन करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों है ऑनलाइन शिक्षा का भरपूर लाभ उठा सकें जिसे उपयुक्त प्रशिक्षण के विकास हेतु है आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में शिक्षा नीति की सिफारिशें जिसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण ऑनलाइन शिक्षा सामग्री का निर्माण एवं अन्य विभिन्नता एवं विविधता को असमानता को कम करने हेतु जनसंचार माध्यमों का अधिक से अधिक उपयोग वर्चुअल लैब डिजिटल रिपोजिटरी ऑनलाइन परीक्षा एवं मूल्यांकन, इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण है।

डिजिटल माध्यम से शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, एकल संस्थानों में बहु शिक्षा इत्यादि कुछ ऐसे प्रस्ताव वर्तमान शिक्षा नीति में हैं जिसके लिए वित्त की आवश्यकता है। अतः वर्तमान परीक्षा नीति में शिक्षा की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने हेतु बेहतर निवेश पर जोर डाला गया है। वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च जीडीपी का मात्र 4.43% के आसपास है जिसको जीडीपी 6% तक करने का सुझाव इस शिक्षा नीति में किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर विश्वविद्यालयों में शोध एवं प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त ऑनलाइन शिक्षा का स्तर एवं गुणवत्ता हेतु पर्याप्त सुविधाएं एवं संसाधन में एकमुश्त धनराशि प्रदान करने के लिए प्रयास सुनिश्चित कराना अच्छा सुझाव है।

इस शिक्षा नीति का एक सिद्धांत 'सरल किंतु कठोर' भारत जैसे राज्य के लिए बहुत ही आवश्यक एवं उपयुक्त प्रयास है। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रक्रिया, कार्यपद्धति, उपलब्ध पाठ्यक्रम एवं कार्यक्रम में पारदर्शिता के साथ स्वप्रकटीकरण, आधुनिक शिक्षा में पर्याप्त निवेश सरकारी तथा निजी सभी संस्थानों में अच्छे प्रशासन और तंत्र पर नियमन इस सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाने हेतु एक शुभ प्रयास है।

इस नीति के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान जिसमें वर्ष 2030- 40 के दशक तक संपूर्ण नीति का क्रियान्वयन होना सुनिश्चित किया गया है, प्रत्येक वर्ष इस नीति की समीक्षा किए जाने का प्रावधान यदि चरणबद्ध तरीके से किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है की वर्तमान शिक्षा नीति, जो उच्च मूल्यों, सभी के विकास हेतु प्रावधान, 'सरल किंतु कठोर' 'लोकल और ग्लोबल' जैसे समतामूलक और समावेशी शिक्षा जो सभी के लिए अनिवार्य हो, उसको प्राप्त करने हेतु एवं एक युक्तियुक्त समाज के निर्माण हेतु अत्यंत प्रभावी होंगे। समाज में समानता एवं विकास इस शिक्षा नीति के द्वारा अवश्य ही प्राप्त होगा।

उपसंहार

कोविड-19 की वजह से जारी लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज समेत देश के तमाम शिक्षण संस्थान पिछले कई महीने से बंद हैं। ऐसे में देश भर में इन दिनों ऑनलाइन शिक्षा बेहद लोकप्रिय हो रही है। हालांकि अब भी कई छात्रों तक डिजिटल माध्यमों की पहुंच नहीं है। इसके मद्देनजर नई शिक्षा

नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि डिजिटल खाई को पाटे बिना ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा पाना संभव नहीं है।

ऐसे में ये जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए तकनीक का उपयोग करते समय समानता के सरोकारों को नजरअंदाज ना किया जाए। शिक्षा नीति में तकनीक के समावेशी उपयोग यानि सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है ताकि कोई भी इससे वंचित ना रहे। साथ ही इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात भी कही गई है क्योंकि ये जरूरी नहीं कि जो शिक्षक पारंपरिक क्लासरूम शिक्षण में अच्छा है वो ऑनलाइन क्लास में भी उतना ही बेहतर कर सके।

स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए शिक्षा नीति में कई सिफारिशें की गई हैं। स्वयं दीक्षा जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा ताकि शिक्षक विभिन्न यूजर फ्रेंडली उपकरणों की मदद से छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकें। वर्तमान में कोविड महामारी ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के लिए के लिए टू-वे वीडियो और टू-वे ऑडियो वाले इंटरफेस की सख्त जरूरत है।

कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी सामग्रियों की डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाएगी, जिनकी गुणवत्ता के आधार पर यूजर इन सामग्रियों की रेटिंग भी कर पाएंगे। छात्रों के मनोरंजन आधारित लर्निंग के लिए ऐप विकसित किए जाएंगे। अब भी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से तक डिजिटल पहुंच नहीं है, ऐसे में मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग शिक्षण सामग्री के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा।

इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को विभिन्न भाषाओं में चौबीसों घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी ही भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। दीक्षा, स्वयं और स्वयंप्रभा जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग वर्चुअल लैब बनाने के लिए किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग आधारित शिक्षा के समान अवसर मिल सकें।

शिक्षकों को छात्र केंद्रित अध्यापन में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग कर वो खुद उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री विकसित करें। जैसे जैसे ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर शोध सामने आ रहे हैं और अन्य निकाय ऑनलाइन शिक्षण के लिए कंटेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े मानक तय करेंगे। इन्हीं मानकों के आधार पर विभिन्न बोर्ड, स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान ई-लर्निंग से जुड़े दिशानिर्देश तैयार करेंगे।

सन्दर्भ सूची

- NEP 2020: A comparison with the 1986 education policy. Educationtimes.com. (2021). Retrieved 10 December 2021, from <https://www.educationtimes.com/article/editors-pick/77527635/NEP-2020-A-comparison-with-the-1986-education-policy>.
- नई शिक्षा नीति पढ़ाई, परीक्षा, रिपोर्ट कार्ड सब में होंगे ये बड़े बदलाव. आज तक. अभिगमन तिथि 30 जुलाई 2020. सक्सेना, एन. आर. स्वरूप, ओबेरॉय, एस. सी. (2007), 'शिक्षा तकनीकी के तत्व एवं प्रबन्धन', मेरठ, आर लाल बुक डिपो। अग्रवाल, जे. सी., (2010), 'स्कूल प्रबन्ध, सूचना तथा सम्प्रेषण तकनीकी', आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन। चतुर्वेदी, शोभा, (2006), 'शैक्षिक तकनीकी का सारत्व एवं प्रबन्ध', कानपुर, विकास प्रकाशन। किन्डरस्ले डालिंग, (2013), 'शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबन्ध प्रणाली के मूल तत्व', नई दिल्ली, किन्डरस्ले डालिंग (इंडिया) प्रा.लि. (द.एशिया में पियर्सन एजुकेशन के लाइसेंसी)। पाठक, आर. पी., (2011), 'शैक्षिक तकनीकी', नई दिल्ली, डालिंग किन्डरस्ले (इंडिया) प्रा.लि. (द.एशिया में पियर्सन एजुकेशन लाइसेंसी)। जौदान, राम गोपाल सिंह, (2009), 'कम्प्यूटर के विविध आयाम', गाजियाबाद, आकांक्षा पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। चौधरी, पंकज, (2008), 'भारत के सूचना तकनीकी का विकास', नई दिल्ली, संचार साहित्य प्रकाशन।